रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99

REGD. NO. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड १

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 77] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 19, 2007/फाल्गुन 28, 1928

No. 77] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 19, 2007/PHALGUNA 28, 1928

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना (निर्णायक समीक्षा)

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2007

विषय : चीन जन. गण. के मूल के/वहां से निर्यातित हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क से संबंधित निर्णायक समीक्षा की शुरुआत ।

सं. 4/13/2006-डीजीएडी.—यत: वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर शुल्क अथवा अतिरिक्त शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतद्पश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) ने 26 नवम्बर, 2002 की अधिसूचना संख्या 62/1/2001-डीजीएडी के तहत चीन जन. गण. (जिसे आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित हाइड्रोफ्लोरिक एसिड (जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयात पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करते हुए अपने अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित किये थे ।

और यत: संबद्ध वस्तु पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क 15 जनवरी, 2003 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 10/2003 के तहत लगाया गया था ।

2. विचाराधीन उत्पाद

वर्तमान याचिका में शामिल उत्पाद हाइड्रोफ्लोरिक एसिड (जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) है । हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का उत्पादन एनहाइड्रस हाइड्रोफ्लोरिक एसिड (एएचएफ) के रूप में किया जाता है और इसकी बिक्री तरल या गैस रूप में अथवा अवमिश्रित रूप (डीएचएफ) में की जा सकती है जिसे एक्वस हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के रूप में जाना जाता है और जो रंगहीन द्रव्य है । इसका उत्पादन और बिक्री अंतिम प्रयोग संबंधी अपेक्षाओं के अनुसार विभिन्न सांद्रणों में की जाती है किन्तु विभिन्न सांद्रणों से उत्पाद में भिन्नता नहीं आती है ।

हाइड्रोफ्लोरिक एसिड सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 28 के अंतर्गत, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के सी.शु. उप शीर्ष 281111 के अंतर्गत वर्गीकृत एक अकार्बनिक रसायन है । तथापि, यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है ।

3. जांच की शुरुआत

सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 और उसके अंतर्गत बनाए गए पाटनरोधी नियम के तहत प्राधिकारी के लिए पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की जरूरत की समय-समय पर समीक्षा करनी अपेक्षित होती है । मै. टेनफैक इंडस्ट्रीज लि., कुड्डालोर ने चीन जन. गण. के मूल के या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की जरूरत की पुष्टि करते हुए एक आवेदन दायर किया है और उपर्युक्त अधिसूचना के अंतर्गत संबद्ध वस्तु पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क को अगले 5 वर्ष की अवधि तक जारी रखने और उसमें वृद्धि करने का अनुरोध किया है । मै. नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लि. ने आवेदन का समर्थन किया है । निर्दिष्ट प्राधिकारी का मानना है कि यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 की धारा 9क(5) के उपबंध के अंतर्गत इस चरण पर संस्तुत पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा करना उचित होगा ।

4. शामिल देश

वर्तमान जांच में शामिल देश चीन जन. गण. है ।

5. समीक्षा के आधार

आवेदक ने चीन जन. गण. को गैर-बाजार वाला अर्थव्यवस्था मानते हुए बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय हेतु अभिवृद्धि करने के बाद चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य का दावा उत्पादन की परिकलित लागत के आधार पर किया है । निर्यात कीमत का दावा आवेदक द्वारा आईबीआईएस, मुम्बई से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर किया गया है । निवल निर्यात कीमत निकालने के लिए समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, पत्तन व्यय, बैंक प्रभार, कमीशन, अंतर्देशी भाड़े आदि के लिए कीमत समायोजनों का दावा किया गया है ।

जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने प्रथम दृष्ट्या उत्पादन की परिकलित लागत निर्यात कीमत संबंधी सूचना और याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुसार संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के लिए दावा किए गए समायोजनों के आधार पर संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य पर विचार किया है ।

यह अनुरोध लागू पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने और उसे बढ़ाने के लिए है तथा इन कारणों पर आधारित है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लागू किए जाने के बावजूद पाटन जारी है । इसके अलावा, आवेदक का यह आरोप है कि क्षति की समाप्ति मुख्यत: पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी के कारण हुई थी और शुल्क की समाप्ति से चीन जन. गण. से पाटित कीमतों पर पर्याप्त आयातों की पुनरावृत्ति होगी और इससे घरेलू उद्योग को हुई क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना होगी ।

6. प्रक्रिया

दिनांक 26-11-2002 की सं. 62/1/2002-डीजीएडी द्वारा अधिसूचित अंतिम जांच परिणाम तथा 15-1-2003 की सी.शु. अधिसूचना सं. 10/2003 द्वारा लागू अंतिम शुल्क की समीक्षा करने का निर्णय लेने के पश्चात्, प्राधिकारी सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 तथा पाटनरोधी नियम के अनुसार एतद्द्वारा इस आशय की समीक्षा करने के लिए जांच शुरू करते हैं कि क्या चीन के मूल के अथवा वहां से निर्यातित हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है ।

इस समीक्षा में 11-12-2001 की अधिसूचना सं. 62/1/2001-डीजीएडी के सभी पहलू शामिल हैं । मूल जांच में मै. टेनफैक इंडस्ट्रीज लि. ने घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व किया है । प्राधिकारी उपर्युक्त नियमावली के अनुसार आवेदनकर्ता तथा समर्थक, जो भारत में सम्बद्ध वस्तु के उत्पादन के बड़े भाग का उत्पादन करते हैं, को घरेलू उद्योग के रूप में मानने का प्रस्ताव करते हैं ।

7. जांच की अवधि

वर्तमान समीक्षा के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2005 से 30 सितम्बर, 2006 (18 महीने) की है । तथापि, क्षति विश्लेषण में 2002-03 से 2005-06 तक के वर्ष शामिल होंगे ।

8. सूचना प्रस्तुत करना

संबद्ध देश के निर्यातकों और भारत में उनके दूतावास/प्रतिनिधियों के माध्यम से उनकी सरकार, भारत में ज्ञात संबद्ध आयातकों एवं प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को संबंधित सूचना निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से प्रस्तुत करने और अपने विचारों से निम्नलिखित को अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है :

निर्दिष्ट प्राधिकारी,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
वाणिज्य विभाग,
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी),
कमरा सं. 240, उद्योग भवन,
नई दिल्ली-110011

अन्य कोई हितबद्ध पार्टी भी नीचे दी गई समयावधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से जांच से संबंधित अनुरोध कर सकती है ।

9. समय सीमा

वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना तथा सुनवाई के लिए कोई अनुरोध लिखित में प्राधिकारी को उपर्युक्त पते पर इस समीक्षा अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से चालीस (40) दिनों के भीतर पहुंच जाने चाहिएं । यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम रिकॉर्ड कर सकते हैं ।

10. अगोपनीय सारांश

सभी हितबद्ध पार्टियों को पाटनरोधी नियम 7(2) के अनुसार गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई किसी सूचना का अगोपनीय सारांश उपलब्ध कराना होगा जो नियम 7(1) और 7(2) के अनुसार स्वीकार्य होगा ।

11. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए हैं । यदि कोई हितबद्ध पाटी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है या जांच में अत्यधिक बाधा डालती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं ।

डॉ. क्रिस्टी एल. फेर्नान्डेज, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

Initiation Notification (Sunset Review)

New Delhi, the 17th March, 2007

Subject : Initiation of Sunset Review on anti-dumping duty imposed on imports of Hydrofluoric Acid originating in/exported from China PR.

No. 4/13/2006-DGAD.—Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as AD Rules), *vide* notification number 62/1/2001-DGAD dated 26th November, 2002, the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) notified its final findings recommending definitive anti-dumping duty on import of Hydrofluoric Acid (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from People's Republic of China (hereinafter referred to as subject countries).

And whereas definitive anti-dumping duty was imposed on the subject goods *vide* Customs Notification No. 10/2003 dated 15th January, 2003.

2. Product Under Consideration

The product involved in the present petition is Hydrofluoric Acid (also referred as subject goods hereinafter). Hydrofluoric Acid is produced as Anhydrous Hydrofluoric Acid (AHF) and can be sold as such in a liquid or gaseous state or in a diluted form (DHF) known as aqueous Hydrofluoric Acid, which is a colourless liquid. It is produced and sold in various concentrations, depending on the end-use requirements, but the different concentrations do not render the product different.

Hydrofluoric Acid is an inorganic chemical classified under Chapter 28 of the Customs Tariff Act under Customs Sub-heading 281111 of the Customs Tariff Act, 1975. The classification, is, howeever, indicative only and is no way binding on the scope of the present investigation.

3. Initiation

The Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and the AD Rules made there under require the Authority to review from time to time the need for continuance of anti-dumping duty. M/s. Tanfac Industries Ltd., Cuddalore has filed an application substantiating the need for sunset review of the anti-dumping duty imposed on the subject goods originating in or exported from China PR and have requested for continuation and enhancement of the anti-dumping duty imposed on subject goods under the above mentioned notifications for a further period of 5 years. M/s. Navin Fluorine International Ltd. has supported the application. The Designated Authority considers that the sunset review of the anti-dumping duty recommended would be appropriate at this stage under the provisions of Section 9A(5) of the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 as amended.

4. Country(ies) Involved

The country involved in the present investigation is China PR.

5. Grounds for Review

The applicant has claimed normal value of subject goods in China PR on the basis of constructed cost of

production after addition for selling, general and administrative expenses treating China PR as non-market economy. The export price has been claimed on the basis of data provided by the applicant from IBIS, Mumbai. Price adjustments have been claimed on account of ocean freight, marine insurance, port expenses, bank charges, commissions, inland freight etc. to arrive at the net export price.

For the purpose of initiation, the Authority has *prima facie*, considered the normal value of the subject goods in the subject country on the basis of constructed cost of production and information on the export price and the adjustments claimed for the subject goods from the subject country as made available by the petitioner.

The request is for continuation and enhancement of the anti-dumping duties in force and is based on the grounds that dumping has continued in spite of imposition of anti-dumping duty on import of the subject goods from the subject country. In addition the applicant alleges that the removal of injury was mainly due to the existence of anti-dumping duty and revocation of duty would lead to recurrence of substantial imports at dumped prices from China PR and would be likely to lead to a recurrence of injury to the domestic industry.

6. Procedure

Having decided to review the final findings notified *vide* No. 62/1/2001-DGAD dated 26-11-2002 and final duty imposed by Customs Notification No. 10/2003 dated 15-1-2003, the Authority hereby initiates investigations to review whether cessation of anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury on imports of Hydrofluoric acid originating in or exported from China, in accordance with the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and AD Rules.

The review covers all aspects of Notification No. 62/1/2001-DGAD dated 11-12-2001 M/s. Tanfac Industries Ltd., have represented on behalf of the domestic industry in the original investigations also. The Authority proposes to consider the applicant and the supporter, who constitute a major proportion of the production of the subject goods in India, as domestic industry in accordance with the Rules supra.

7. Period of Investigation

The period of investigation for the purpose of the present review is 1st April, 2005 to 31st September, 2006 (18 months). However, injury analysis shall cover the years 2002-03, to 2005-06.

8. Submission of Information

The exporters in the subject countries, their Government through their Embassies in India/representatives, the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the :

The Designated Authority,

Ministry of Commerce and Industry,

Department of Commerce,

Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties (DGAD),

Room No. 240, Udyog Bhawan,

New Delhi-110011

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

9. Time Limit

Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this review notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.

10. Non-confidential summary

All interested parties must provide a non-confidential summary of any information provided on a confidential basis in terms of Anti-Dumping Rule 7(2), which will be subject to acceptance in terms of Rules 7(1) and 7(2).

11. Inspection of Public File

In terms of Rules 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

DR. CHRISTY L. FERNANDEZ, Designated Authority

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.